बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 29 दिनांक 24-10-18

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक 01.06.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे 6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) के तहत उन्नयन की तिथि (01.01.2016) से वेतन उन्नयन का वास्तविक लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290 दिनांक 01.06.2018 एवं वित्त विभाग, बिहार का ज्ञापांक 8928 दिनांक 15.11.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक 01.06.2018 द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3, ग्रेड पे–6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) स्वीकृत किया गया है परन्तु इस अधिसूचना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त पदाधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पूर्जा में वास्तविक वित्तीय उन्नयन दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव से दिया जा रहा है, जो रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना की मूल अवधारणा के ही विपरीत है क्योंकि रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के तहत नियमित प्रोन्नति मे विलंब होने की स्थिति में किसी कर्मी को निश्चित सेवा अवधि के उपरांत वित्तीय उन्नयन दिय जाता है तथा इसमें वैचारिक वित्तीय लाभ दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि संघ द्वारा छठे वेतन पुनरीक्षा के क्रम में भी वित्त विभाग द्वारा सेव के मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए स्वीकृत दो पे बैंड की व्यवस्था के तहत पी0बी0–2 पी0बी0–3 में 4 वर्ष के उपरांत होने वाले स्वतः परिवर्त्तन (सेवा सम्पुष्ट होने की शर्त्त पर) को प्रथ वित्तीय उन्नयन के रूप में परिभाषित करने की गलत व्याख्या को संशोधित करने हेतु विभाग

अनुरोध किया गया था क्योंकि उक्त परिवर्त्तन के समय मूल कोटि के पदाधिकारी को किसी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त होता है।

साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि दिनांक 01.01.2006 को क्रमशः लगभग 7 वर्ष एवं 6 वर्ष पूर्ण होने उपरांत भी दिनांक 01.01.2006 को इस बैच के पदाधिकारियों का वेतन छठे वेतन पुनरीक्षण के क्रम में स्वतः पी0बी0–3 में निर्धारित न कर इस तिथि को उन्हें पी0बी0–2 से पी0बी0–3 में 4 वर्ष के उपरांत होनेवाले स्वतः परिवर्त्तन को क्रमशः लगभग 7 वर्ष एवं 6 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात प्रथम वित्तीय उन्नयन के रूप में की स्वीकृत कर पी0बी0–3 में वेतन निर्धारित किया गया था तथा उस समय भी इस बैच के पदाधिकारियों को कोई वास्तविक वित्तीय उन्नयन नहीं प्राप्त हुआ था तथा संघ द्वारा पूर्व में ही इस त्रुटि के निराकरण के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।

वर्त्तमान वेतन पुनरीक्षण (सप्तम) में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के लिए छठे वेतन पुनरीक्षण में लागू किये गये दो वेतन बैंड में स्वतः परिवर्त्तन की प्रथम वित्तीय उन्नयन संबंधी गलत व्याख्या को ठीक करते हुए 01.01.2016 के प्रभाव से 10 वर्ष की सेवा के उपरांत वेतन स्तर 9 से वेतन स्तर 11 में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक 01.06.2018 द्वारा रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे–6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) स्वीकृति के बाद भी इस अधिसूचना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त पदाधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पूर्जा में वास्तविक वित्तीय उन्नयन दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव से दिया जा रहा है, जो गलत है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संघ का अनुरोध होगा कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ देते हुए वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

<u>अनुलग्नक :–यथोक्त।</u>

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को उनके अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक 01.06.2018 के आलोक में उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण करने हेतु भवदीय स्तर से भी कार्रवाई करने का अनुरोध के साथ सादर समर्पित।

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-08/2017-8928/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 15/11/2017

विषय :- **दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण/उत्क्रमण के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को पूर्व में प्राप्त वित्तीय उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/प्रीमियर सेवाओं के लिए दिनांक-01/01/2006 के प्रभाव से क्रमशः PB-2+4800/- एवं PB-2+5400/- तथा चार वर्ष के बाद PB-3+5400/- का in situ उत्क्रमण संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। PB-3+5400/- के in situ उत्क्रमण को MACPS, 2010 के आलोक में एक वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है। अर्थात् ऐसे राज्य कर्मियों को जिन्हें PB-3+5400/- का लाभ मिल रहा था, वह एक वित्तीय उन्नयन होगा।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। उक्त के आलोक में दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 स्वीकृत किया गया है, जो अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+5400/- का प्रतिस्थानी वेतन संरचना है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दि०-01/01/2016 के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 की स्वीकृति दी गई है। MACP के मामले के तहत नियुक्ति वेतन संरचना के प्रत्येक स्तर में एक उन्नयन की व्यवस्था है। चूंकि मूल नियुक्ति वेतन संरचना वेतन स्तर-9 में परिवर्तित हो जाती है। अतः 10 वर्ष के

उपरान्त वेतन स्तर-9 से ऊपर एक स्तर, 20 वर्ष के बाद दो स्तर की संरचना को अनुमान्य किया जाता है। ज्ञातव्य है कि नई वेतन संरचना में केन्द्र में उपलब्ध वेतन स्तर-10 राज्य सरकार में लागू नहीं है। अतः वेतन स्तर-9 से उपर प्रथम स्तर-11 एवं द्वितीय स्तर-12 होता है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त स्थिति में MACP के तहत प्राप्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नरूपेण स्पष्ट की जा रही है:-

(i) जिन राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को दिनांक-01/01/2016 के पूर्व एक वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11 तथा जिन्हें दिनांक-01/01/2016 के पूर्व दो वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-12 अनुमान्य होगा।

(ii) वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटीय वेतनमान PB-2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर *in-situ* उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पु ष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में *in-situ* उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम०ए०सी०पी० के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जाएगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक-01/01/2016, जो बाद में हो, से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतन स्तर-11 में अनुमान्य होगा।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखा जाना होगा कि दिनांक-01/01/16 के पूर्व प्राप्त आखिरी वित्तीय उन्नयन का ही पुनरीक्षण किया जाएगा न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक-01/01/2016 को वेतन निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, राज्य सेवा के किसी कर्मी को अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+4800/- के आधार पर पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः PB-2+5400/- एवं PB-3+5400/- प्राप्त था। ऐसे कर्मी को दिनांक-01/01/2016 से पूर्व में प्राप्त मात्र द्वितीय वित्तीय उन्नयन के वेतनमान (PB-3+5400) को पुनरीक्षित किया जाएगा।

उक्त वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 की कंडिका-6(2) के आलोक में किया जाएगा, किन्तु पूर्व में ACP/MACP की स्वीकृति के क्रम में यदि निर्धारण लाभ स्वीकृत किया गया हो, तो उन मामलों में पुनः निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-2-वे०पु०-08/2017 -8928/वि०, पटना, दिनांक-15.11.2017

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक- 3ए-2-वे०पु०-08/2017 -8928/वि०, पटना, दिनांक-15.11.2017

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक– 1.6.18

संख्या–12/प्रो0–1201/2017, सा0प्र0 7290 /वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–7566 दिनांक–14.07.10 एवं वित विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0 8928 दिनांक 15.11.2017 की कंडिका–2 (ii) के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना–2010 के प्रावधानों के तहत् उनके नाम के सामने स्तम्भ–3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान पे–बैण्ड– ₹ 15,600–39,100/– ग्रेड पे0– ₹ 6,600/– पुनरीक्षित पे–मैट्रिक्स वेतन स्तर–11 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3
1.	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल 948/11, पटना	01.01.2016
2.	श्री कृत्यानन्द रंजन, 949/11, नवादा	01.01.2016
3.	मो० रशीद आलम, 950/11, भागलपुर	01.01.2016
4.	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, 953/11, मधुबनी	01.01.2016
5.	श्री एस० एम० परवेज आलम, 954/11, नालन्दा	01.01.2016
6.	श्री मनोज कुमार, 957/11, पटना	01.01.2016
7.	श्री हेमन्त कुमार सिंह, 958/11, मधेपूरा	01.01.2016
8.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, 959/11, गया	01.01.2016
9.	श्री सन्तोष कुमार, 960/11, औरंगाबाद	01.01.2016
10.	श्री आलोक कुमार 961/11, बेगुसराय	01.01.2016
11.	श्री राजीव रंजन सिन्हा, 962/11, पटना	01.01.2016
12.	श्री संदीप कुमार, 963/11, नालन्दा	01.01.2016
13..	श्री मनीष शर्मा, 965/11, पटना	01.01.2016
14.	श्री प्रभात कुमार झा, 966/11, मधुबनी	01.01.2016

15.	श्री बिनोद कुमार सिंह, 967 / 11, समस्तीपुर	01.01.2016
16.	श्री अजीव वत्सराज, 968 / 11, पटना	01.01.2016
17.	मो० रिजवान, 969 / 11, दरभंगा	01.01.2016
18.	श्री सियाराम सिंह, 970 / 11, भागलपुर	01.01.2016
19.	श्री अनिल कुमार, 971 / 11, गया	01.01.2016
20.	श्रीमती स्मिता सिन्हा, 972 / 11, गोपालगंज	01.01.2016
21.	श्री प्रमोद कुमार, 973 / 11, नालन्दा	01.01.2016
22.	श्री अनिल राय, 974 / 11, मुजफ्फरपुर	01.01.2016
23.	श्रीमती पुनम कुमारी, 975 / 11, नवादा	01.01.2016
24.	मो० उमैर, 977 / 11, रोहतास	01.01.2016
25.	श्री सुधांशु शेखर, 978 / 11, शिवहर	01.01.2016
26.	श्री विनय कुमार साह, 979 / 11, मुंगेर	01.01.2016
27.	श्री अनुज कुमार, 980 / 11, अररिया	01.01.2016
28.	श्री गणेश कुमार, 982 / 11, सीतामढ़ी	01.01.2016
29.	श्री दीपक कुमार साहु 983 / 11, बक्सर	01.01.2016
30.	श्री महेश कुमार दास, 988 / 11, पटना	01.01.2016
31.	मो0 जियाउल्लाह 990 / 11, गोपालगंज	01.01.2016
32.	श्री रजनीश लाल, 991 / 11, गोपालगंज	01.01.2016
33.	श्री शम्भु कुमार, 993 / 11, नालन्दा	01.01.2016
34.	श्री विजय कुमार, 994 / 11, नालन्दा	01.07.2017
35.	श्री संजय कुमार, 995 / 11, नालन्दा	01.01.2016
36.	श्री चित्रगुप्त कुमार, 996 / 11, बक्सर	01.01.2016

37.	श्री सोमेश बहादूर माथुर, 999/11, पटना	01.01.2016
38.	श्री गोविन्द चौधरी, 1000/11,जमुई	01.01.2016
39.	श्री संजय कुमार सिन्हा 1001/11, नवादा	01.01.2016
40.	श्री कुन्दन कुमार, 1002/11, नालन्दा	01.01.2016
41.	श्रीमती कनक बाला, 1004/11, पटना	01.01.2016
42.	श्री संजय कुमार वर्मा, 1005/11, पूर्णियाँ	01.01.2016
43.	श्री मनोज कुमार झा, 1006/11, सहरसा	01.01.2016
44.	श्री अनिल कुमार सिंह 1008/11, भोजपुर	01.01.2016
45.	श्री मनोज कुमार, 1010/11, मुजफ्फरपुर	01.01.2016
46.	श्री विनय कुमार ठाकुर, 1011/11, मधुबनी	01.01.2016
47.	श्री राजेश कुमार, 1012/11, सारण	01.01.2016
48.	श्री सुशील कुमार मिश्र, 1014/11, औरंगाबाद	01.01.2016
49.	श्री रवीश किशोर, 1015/11, कटिहार	01.01.2016
50.	श्री राजेश कुमार, 1016/11, बेगूसराय	01.01.2016
51.	श्री रवीन्द नाथ गुप्ता, 1017/11, वैशाली	01.01.2016
52.	श्री अजीत कुमार, 1019/11,नवादा	01.01.2016
53.	श्री शालिग्राम साह, 1021/11, पूणियाँ	01.01.2016
54.	श्री शैलेश कुमार, 1022/11, पटना	01.01.2016
55.	श्री रवीन्द्र कुमार, 1023/11, नालन्दा	01.01.2016
56.	श्री मनोज कुमार, 1024/11, भागलपुर	01.01.2016
57.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, 1025/11, गोपालगंज	01.01.2016
58.	श्री राजेश कुमार सिंह, 1026/11, रोहतास	01.01.2016

D:\Sec-12 Ramesh\Notification\Notification, sec-12.docx

59.	श्री अमिताभ सिन्हा, 1027/11, बेगूसराय	01.01.2016
60.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय 1028/11, उ0प्र0	01.01.2016
61.	श्री कुमार रवीन्द्र 1030/11, रोहतास	01.07.2017
62.	श्री फिरोज अख्तर, 1031/11, पूर्णियाँ	01.01.2016
63.	श्रीमती सुधा गुप्ता, 1033/11, औरंगाबाद	01.01.2016
64.	श्री अरुण कुमार सिंह, 1034/11, कैमुर	01.01.2016
65.	श्री अमलेन्दु कुमार सिंह, 1035/11, मुंगेर	01.01.2016
66.	श्री धर्मेश कुमार सिंह, 1037/11, वैशाली	01.01.2016
67.	श्री अजय कुमार मिश्रा, 1039/11, बक्सर	01.01.2016
68.	श्री संजय कुमार निराला, 1040/11, मुंगेर	01.01.2016
69.	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, 1041/11, गया	01.01.2016
70.	श्री अजय कुमार तिवारी, 1042/11, पटना	01.01.2016
71.	श्री अजीत कुमार सिंह, 1043/11, भोजपुर	01.01.2016
72.	श्री अमिताभ सिंह, 1044/11, समस्तीपुर	01.01.2016
73.	श्री मनोज कुमार, 1045/11, नालन्दा	01.04.2018
74.	श्री विजय कुमार पाण्डेय, 1046/11, बक्सर	24.05.2017
75.	श्री कृष्ण मोहन सिंह, 1048/11, पटना	01.01.2016
76.	श्री अनिल कुमार सिन्हा, 1049/11, भोजपुर	01.01.2016
77.	श्री कुमार अनिल सिन्हा, 1050/11, जहानाबाद	01.01.2016
78.	श्री सुनील कुमार तिवारी, 1051/11, भोजपुर	01.01.2016
79.	श्री सुबोध कुमार सिंह, 1054/11, पटना	01.01.2016
80.	श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, 1056/11, भोजपुर	01.01.2016

81.	श्री राजेश कुमार, 1057 / 11, पटना	01.01.2016
82.	श्री विपिन कुमार राय, 1058 / 11, बक्सर	01.01.2016
83.	श्री चेत नारायण राय, 1060 / 11, वैशाली	01.01.2016
84.	श्री रवि रंजन कुमार गुप्ता, 1061 / 11, पश्चिम चम्पारण	01.04.2016
85.	श्री संदीप कुमार, 1062 / 11, पटना	01.01.2016
86.	श्री सुमन प्रसाद साह, 1063 / 11, भागलपुर	01.01.2016
87.	श्री अभयेन्द्र मोहन सिंह, 1064 / 11, सीवान	01.01.2016
88.	श्री राजीव रंजन, 1065 / 11, बक्सर	01.01.2016
89.	श्री संजीव कुमार सिंह, 1066 / 11, समस्तीपुर	01.01.2016
90.	डॉ० गजेन्द्र कुमार सिंह, 1069 / 11, मुंगेर	01.01.2016
91.	श्री श्रीप्रकाश, 1070 / 11, सारण	01.01.2016
92.	श्री शैलेश कुमार दास, 1071 / 11, झारखंड	01.01.2016
93.	श्री नलिन कुमार, 1072 / 11, पटना	01.01.2016
94.	श्री चितरंजन प्रसाद, 1075 / 11, मधुबनी	01.01.2016
95.	श्री कौशलेन्द्र कुमार, 1077 / 11, नालन्दा	01.01.2016
96.	श्री संजय कुमार, 1079 / 11, मुजफ्फरपुर	01.01.2016
97.	श्री अनीश अख्तर, 1082 / 11, मुजफ्फरपुर	01.01.2016
98.	श्री मंजूषा चन्द्रा, 1083 / 11, पटना	01.01.2016
99.	श्री राकेश गुप्ता, 1086 / 11, मुजफ्फरपुर	01.01.2016
100.	श्री मृत्युंजय कुमार, 1090 / 11, मधेपुरा	01.01.2016
101.	श्री परितोष कुमार, 1092 / 11, नवादा	01.01.2016
102.	श्री गौतम कुमार, 1094 / 11, पटना	01.01.2016

D:\Sec-12 Ramesh\Notification\Notification

103.	श्रीमती सुरंजीता सिन्हा, 1096/11, भोजपुर	01.01.2016
104.	श्री शम्स जावेद अंसारी, 1097/11, सारण	01.01.2016
105.	श्रीमती अंजु कुमारी 1101/11, मुंगेर	01.01.2016
106.	श्री जगदीश कुमार, 1105/11, मुंगेर	01.01.2016
107.	श्रीमती सुषमा, 1106/11, शेखपूरा	01.01.2016
108.	श्रीमती सईदा खातुन, 1107/11, सारण	01.01.2016
109.	मो० राजिक, 1108/11, वैशाली	01.01.2016
110.	श्री सुधीर कुमार 1109/11, सहरसा	01.01.2016
111.	श्री मधुसूदन प्रसाद, 1110/11, सारण	01.01.2016
112.	श्री सोमनाथ सिंह, 1114/11, भागलपुर	01.01.2016
113.	श्री अर्जुन प्रताप चन्द 1115/11, जहानाबाद	01.01.2016
114.	श्री देवेन्द्र सुमन 1117/11, पटना	01.01.2016
115.	श्री रवीन्द्र नाथ चौधरी 1119/11, जमुई	01.01.2016
116.	श्री सुनील कुमार रंजन 1120/11, बांका	01.01.2016
117.	श्री प्रमोद कुमार, 1121/11, समस्तीपुर	01.01.2016
118.	श्री मनोज कुमार चौधरी, 1123/11, जहानाबाद	01.01.2016
119.	श्री राहुल बर्मन, 1126/11, कैमूर	01.01.2016
120.	श्री निरंजन कुमार 1131/11, जमुई	01.01.2016
121.	श्री राज किशोर लाल, 1132/11, बक्सर	01.01.2016
122.	श्री रवीन्द्र राम, 1133/11, औरंगाबाद	01.01.2016
123.	श्री प्रमोद कुमार राम 1134/11, रोहतास	01.01.2016

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2010 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

D:\Sec-12 Ramesh\Notification\Notification, sec-12.docx

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/ प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०
01.06.18

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –12/प्रो0–1201/2017, सा0प्र0 7290 /पटना–15, दिनांक– 1.6.18

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) /महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०
01.06.18

सरकार के अवर सचिव।

01.06.18

D:\Sec-12 Ramesh\Notification\Notification. sec-12.docx